दिनांक 05.05.2022 को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की आहूत "कार्य परिषद्" की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून क्री कार्यपरिषद की 11वीं बैठक दिनांक 05.05.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सेमिनार कक्ष में डॉ0 पी0पी0 ध्यानी, माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद्, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में कार्य परिषद् के निम्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया:–

1–डॉ0 पी0पी0 ध्यानी, कुलपति/अध्यक्ष, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	अध्यक्ष
2–श्री वेदी राम, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव त0शि0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
3–श्री एम0एम0 सेमवाल,अपर सचिव उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव उ0शि0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
4–श्री आर0के0श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन(सचिव न्याय के प्रतिनिधि) (बैठक में आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5–श्री संजय टोलिया ,संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन(सचिव वित्त के प्रतिनिधि) (बैठक में आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6–श्री सुनील कुमार सिंह,अनुसचिव,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव चिकित्साकेप्रतिनिधि)	सदस्य
7–डॉ0 यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस.आई.एच.एम.टी., नई टिहरी	स्थायी आंमत्रित सदस्य
8–डॉ0 अमित अग्रवाल, निदेशक, आई0टी0 टनकपुर	स्थायी आंमत्रित सदस्य
9–डॉ0 वाई0 सिंह, निदेशक, जीबीपीईसी घुडदौड़ी, पौडी गढ़वाल	आंमत्रित सदस्य
10–डॉ0 के0के0एस0 मेर, निदेशक, आई0टी0 गोपेश्वर, जनपद चमोली	आंमत्रित सदस्य
11–डॉ0 मनोज कुमार पॉडा, शोध समन्वयक, वी.एम.एस.बी. उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
12–श्री प्रवीन कुमार अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
13–श्री विक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
14–श्री आर0पी0 गुप्ता, कुलसचिव, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	पदेन सचिव

बैठक का शुभारंभ करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया तथा वीर मांधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के प्रस्तावित षष्ठम दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने की मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय की अनुमति प्रदान किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया तथा विश्वविद्यालय के उत्थान में समस्त सम्मानित सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। मा0 कुलपति महोदय के उक्त उद्बोधन के बाद बैठक की कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलसचिव/पदेन सचिव श्री आर0पी0 गुप्ता द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गये:–

एजेण्डा बिन्दु : 11–01 (क) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "कार्य परिषद्" की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) कार्य परिषद् की दिनांक 18 सितम्बर 2020 को सम्पन्न हुई 10वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के कृत कार्यवाही की सूचना दी गयी जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 11–02

वीर माधो सिंह भण्डरी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह के आयोजन का अनुमोदन।

प्रस्तावः– मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को विश्वविद्यालय का षष्ठम दीक्षांत समारोह आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। तत्क्रम में निम्नानुसार प्रस्तावित है।

(1) विश्वविद्यालय के ओडिटोरियम में दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु मा0 सदस्यों कीसहमति प्रार्थनीय है।

(2) विश्वविद्यालय से उर्त्तीण सभी यू.जी./पी.जी. उपाधि धारकों को सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–2020 एवं 2020–2021 की उपाधियां तथा वर्ष 2017 से वर्ष 31 मार्च 2022 तक के पी0एच0डी0 धारकों को पी0एच0डी0 की उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

(3) उक्त दीक्षांत समारोह में आमंत्रित सदस्यों का सूक्ष्म विवरण, माननीय सदस्यों केअवलोनार्थ/अनुमोदनार्थ।

(4) दीक्षांत समारोह का क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.02 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–03

विश्वविद्यालय से उर्त्तीण छात्र–छात्राओं को उपाधि/मैडल प्रदान किये जाने हेतु मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय से सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं सत्र 2020–21 में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि/मैडल प्रदान किये जाने निम्नवत् प्रस्तावित है।

(1) वर्ष 2017 से 31 मार्च 2022 तक संलग्न विवरण के अनुसार कुल 308 पी0एच0डी0 उपाधि धारकों को पी0एच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

(2) सत्र 2016–17 से 2020–2021 तक विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण 38791 छात्र–छात्राओं को उपाधियां प्रदान किये जाने का अनुमोदन

(3) सत्र 2017 से 2021 तक के विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठयक्रमों के टॉपर 66 छात्र–छात्राओं को गोल्ड मैड़ल प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.03 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–04 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं, 09वीं, 10वीं एवं 11वीं बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं बैठक दिनांक 21–07–2018, 09वीं बैठक दिनांक 28–07–2020, 10वीं बैठक दिनांक 25–02–2021 एवं 11वीं बैठक दिनांक 30–04–2022 को सम्पन्न हुई बैठकों के कार्यवृत्तों की मा0 सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि/अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.04 अपर सचिव तकनीकी शिक्षा द्वारा सम्पन्न हुई विद्या परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दु बैठक में प्रस्तुत करने हेतु दिए गये सुझाव के कम में कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं, 09वीं, 10वीं एवं 11वीं बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं को समिति के समक्ष रखा गया जिस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में पूर्व में सम्पन्न हुई विद्यापरिषद के कार्यवृत्त जिनका अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक लिया जाना प्रस्तावित किया जाना है उन बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या को भी कार्यवृत्त के एजेण्डा/विवरण में संलग्न किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु : 11–05

विश्वविद्यालय, वित्त समिति की आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 10वीं **बैठक 18 सितम्बर 2020** को आयोजित हुई थी जिसमें राजभवन उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 26–04–2019 में लिए गये निर्णय के परिपालन में बिन्दु 3(1) के अनुपालन में सत्र 2018–19 एवं इससे पूर्व के अस्थाई संबंधता के 214 प्रकरणों के निस्तारण संबंधी बिन्दु भी प्रस्तुत किरे गये थे जिसमें वित्त समिति एवं विद्या परिषद् आदि में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः विश्वविद्यालय, द्वारा आहूत/सम्पन्न वित्त समिति की आयोजित 14वीं बैठक दिनांक 10.11.2016, 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017, 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019, 17वीं बैठक 11.02.2021 एवं 18वीं वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, माननीय कार्य परिषद् के सम्पुष्टि/अनुमोदनार्थ ।

विनिश्चय :–11.05 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सुझाव दिया गया कि आहूत बैठक के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या को भी एजेण्डा सूची में संलग्न किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु : 11–06 (A)

राज भवन से 2019–20 एवं 2020–21 के सम्बद्धता आदेश प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् के मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्तावः– राजभवन से शैक्षिक सत्र–2019–20 एवं 2020–21 हेतु अद्यतन 2019–20 के 25 संस्थानों तथा 2020–21 के 16 संस्थानों के सम्बद्धता आदेश प्राप्त हुए है। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 24 (2) के अनुसार **कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से सम्बद्धता की ऐसी शर्तो की, जो विहित की जाए, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय**

के विशेष अधिकार को बढा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी के कम में कार्यपरिषद् से राजभवन से प्राप्त सम्बद्धता आदेशों को कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.06(A) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त कार्यपरिषद द्वारा ऐसे संस्थानों के संबंधित पाठयक्रमों की सम्बद्धता हेतु अनुमोदन देने का निर्णय लिया गया जिनके सम्बद्धता आदेश कार्य परिषद की बैठक तक राजभवन से निर्गत हो गये हों एवं जिनकों संलग्न–07 सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो।

एजेण्डा बिन्दु : 11–06 (B) टैकवर्ड वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान रूड़की के शैक्षिक सत्र 2012–13 से 2015–16 तक की सम्बद्धता विस्तारण न होने के कम में छात्र–छात्राओं को डिग्री प्रदान करने एवं संबंधित संस्थान के सन्दर्भित अवधि के सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यपरिषद् का अनुमोदन।

प्रस्तावः– टैकवर्ड वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स कैनाल रोड़, रूड़की, जनपद–हरिद्वार द्वारा शैक्षिक सत्र 2009–10 से प्रथम बार तकनीकी पाठयक्रमों (बी.टैक.,एम. बी.ए., एम.सी.ए.) का संचालन किया गया एवं संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किये गये है एवं शैक्षिक सत्र 2010–11 से 2011–12 तक सम्बद्धता विस्तारण किया गया है, जिसके सम्बद्धता में विचार हेतु दिनांक 26 मार्च,2019 को राजभवन, उत्तराखण्ड में मा0 राज्यापाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुरूप विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यपरिषद् की दिनांक 18 सितम्बर 2020 को सम्पन्न हुई बैठक के अनुमोदन प्रादन किया गया। संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2012–13 से 2015–16 की सम्बद्धता विस्तारण की प्रक्रिया नहीं की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2012–2016 तक के प्रवेशित छात्र–छात्राओं की परीक्षाएं करवाते हुए अंकतालिकाएं निर्गत कर दी गयी। संस्थान का सम्बद्धता विस्तारण न होने के कारण छात्र–छात्राओं की उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं की गयी है। छात्र छात्राओं द्वारा उपाधियों की मांग की जा रही हैं। अतः छात्रहित में शैक्षिक सत्र 2012–13 से शैक्षिक सत्र 2015–16 तक की सम्बद्धता सम्बन्धित संस्थान को प्रदान करते हुए उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधि दिये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.06(B) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गयेः–

(1) बैठक में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान की छात्र–छात्राओं की परीक्षाएं नियमानुसार संपन्न हो चुकी है एवं छात्र–छात्राओं के उत्तीर्ण होने के उपरांत उनको अंक तालिका भी निर्गत हो गयी है 2010–11 से 2011–12 तक दिए गये सम्बद्धता आदेश के कम में 2012–13 से 2015–16 तक किसी भी पाठयक्रमों में कोई सीट बृद्धि नही की गयी है अतः पूर्व अनुमोदित सीटों के सापेक्ष मा0 सदस्यों द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया गया कि छात्रहित में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को डिग्री प्रदान कर दी जाए, किन्तु भविष्य में इसे दृष्टान्त न समझा जाए।

(2) उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक तथ्यान्वेषन जॉच समिति गठित कर इसकी जॉच की जाए कि संस्थान की सम्बद्धता न होने पर किस प्रकार और किस स्तर से छात्र–छात्राओं की परीक्षा आयोजित करवायी गयी और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। संबंधित समिति जॉच कर स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट मा0 कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी, एवं मा0 कुलपति को नियम अनुसार रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–07

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन।

1. **नवीन विधि संस्थान खोले जाने हेतु "उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् के सम्मानित सदस्यों के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव निम्नवत प्रस्तावित है:–

प्रस्तावः–

धारा 2 का संशोधन

2.उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 में:–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थातः–

"(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा एवं विधि शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थातः–

विधि शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जो बॉर काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

औचित्य

- अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष–2017 के बाद किसी भी नवीन विधि पाठ्यक्रम संचालित करने के इच्छुक कॉलेज/संस्थान को सम्बद्धता प्रदान नही की गयी है।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से व्यावसायिक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 को संशोधित करते हुए उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2010) प्राख्यापित किया गया। उक्त संशोधित अधिनियम–2009 की धारा–4 के द्वारा मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2005) में उपधारा (ण) को अन्तः स्थापित कर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की शक्ति और कर्तव्यों को व्यासायिक पाठ्यकमों तक विस्तारित करते हुए निम्न व्यवस्था की गयी:–

धारा 2 के खण्ड (ख)का प्रतिस्थापन तथा खण्ड (ढ) के

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ढ) के पश्चात् नया खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा
अर्थातः–

पश्चात् खण्ड (ण) का अन्तःस्थापन

"(ख) अनुमोदित संस्था' का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्था से है।"

"(ण)व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य बी0एड0, एम0एड0, पैरामेडिकल, मेडिकल, बी0पी0एड0, विधि शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त विज्ञान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बॉर काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

पुनः उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2013) में वर्णित धारा 2 (दो) अनुसार मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 यथा संशोधित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2009) के उपरोक्त खण्ड (ण) को **"निरसित"** किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था की गयीः–

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 मेंः–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थातः–

"(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निरसित कर दिया गया समझा जायेगा।

उक्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2013 को अधिसूचना संख्या 1003/XLI-1/17–रिट 07/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 द्वारा लागू किया गया। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 1647/XLI-1/2017–07/2017 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 के माध्यम से निम्न निर्देश दिये गयेः–

"उक्त अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013) लागू होने के उपरान्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2017–18 से अनिवार्य रूप से श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जायेंगे"।

तत्क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 524(1) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के बिन्दु–2 एवं बिन्दु–3 द्वारा निर्देशित किया गया किः–

बिन्दु–2 "श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, नई टिहरी को आतिथि तक बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त न होने के कारण विधि पाठ्यक्रमों को उक्त विश्वविद्यालय से संचालित किया जाना विधि दृष्टिकोण से सम्भव नही है।

बिन्दु–3 उर्पयुक्त परिस्थिति के दृष्टिगत छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–11(2) (व्यावृत्ति (Saving)) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल महोदय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को स्थानांतरित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को उक्त अधिनियम लागू होने पश्चात् भी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध बने रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं"

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 से पूर्व विधि पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 10 विधि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गयी है, जिनको विवरण निम्नवत हैः–

- अमृत लॉ कॉलेज, धनौरी, रूड़की
- अरिहन्त लॉ कॉलेज, ग्राम–शान्तरशाह, पो0–दौलतपुर, जनपद–हरिद्वार
- बिशम्भर सहाय (पी0जी0) इंस्टीट्यूट, 06 किमी0 माईल स्टोन, दिल्ली–देहरादून रोड, रूड़की
- बी0एस0एम0 लॉ कॉलेज, रूड़की, जनपद–हरिद्वार

- चमनलाल लॉ कॉलेज, लण्ढौरा–रूड़की (हरिद्वार)
- इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दयाल सिटी, बेदपुर, भगवानपुर, हरिद्वार बॉय पास रोड, रूड़की
- जगन्नाथ विश्वा लॉ कॉलेज, माजरी ग्रांट, लाल तप्पर, देहरादून
- जागरण स्कूल ऑफ लॉ, शंकरपुर, हुकुमतपुर, पो0ओ0–रामपुर, तहसील–विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून
- लिब्रा कॉलेज ऑफ हॉयर स्टडीज, राजावाला रोड, वाया–प्रेमनगर, देहरादून
- सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, सहस्त्रधारा रोड, नियर आई0टी0 पार्क, देहरादून

नये विधि संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को प्रेषित पत्रांक संख्या 748(1)/XXIV(3)/2018–01(03)2018 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के बिन्दु–3 एवं बिन्दु–4 द्वारा निर्देशित किया गया है कि:–

बिन्दु–3 समग्र स्थिति एवं तथ्यों के दृष्टिगत छात्र हित एवं राज्य हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अग्रिम आदेशों तक नवीन विधि पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय एवं पांच वर्षीय) संचालित करने वाले संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 प्रदान नही की जायेगी।

बिन्दु–4 तदकम में उत्तराखण्ड राज्य में नवीन विधि पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय एवं पांच वर्षीय) संचालन हेतु व सीट वृद्धि के प्रस्ताव हेतु बार कांउंसिल ऑफ इण्डिया को आवेदन कर चुकी/करने वाली पूर्व में संचालित संस्थानों/कॉलजों को राज्य सरकार की अनापत्ति/सहमति के बिना किसी भी दशा में एल0ओ0आई0 (Letter of Intent) निर्गत न किया जाय।

विशेष नोटः– उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 748(1)/XXIV(3)/2018–01(03)2018 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा नवीन विधि पाठ्यकम खोले जाने हेतु अनापत्ति/एन0ओ0सी0 प्रदान किये जाने पर लगाई गयी रोक को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/06/21 एवं शासन के पत्र संख्या 1111/XXIV-C-3/2021–01(03)2018 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय को नये विधि संस्थान खोले जाने सम्बन्धी आवेदन समय–समय पर प्राप्त हो रहें है। चूंकि गत कई वर्षो से किसी भी नये विधि संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्राप्त आवेदनो पर उपरोक्त कारणो से विचार नही जा रहा है। इस समयावधि में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा छात्रों की मांग को देखते हुए विधि के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय को बी0सी0आई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नही है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों तथा विधि के क्षेत्र में बढ़ती मांग एवं तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए **"उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.07 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा यथा प्रस्तानुसार **"उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः संशोधित किये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया एवं सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठयकम के संचालन हेतु बार काउसिंल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होने पर विधि पाठयकमों को श्री देव सुमनउत्तराखण्डविश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्यक कार्यवाही की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु : 11–08 विनियमावली की धारा 6.07(2) में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत

प्रस्ताव–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली–2018 की धारा 6.07(2) में निम्न व्यवस्था वर्णित है:–

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविधालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होगी तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य के कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे की अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा"।

तदनुसार विनियमावली की धारा 6.07(2) में निम्न संशोधन प्रस्तावित है:–

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविधालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में 75 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होगी तथा शेष 25 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य के कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे की अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा"।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली 2018 के अध्याय–17. 01 में विनियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

"राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रथम विनियमावली में समय–समय पर यथा आवश्यकता के संशोधन किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में निहित होगा।

परन्तु विनियमावली के मूल ढांचें में परिवर्तन राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन के द्वारा मूल ढांचें में परिवर्तन किया गया है या नहीं। इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा"।

औचित्य–उत्तराखण्ड के छात्रों को प्रवेश हेतु विभिन्न पाठ्यकमों में अधिक सीटों की उपलब्धता कराने के दृष्टिगत विद्यापरिषद् की 11वीं बैठक में लिये गये निर्णय " विनियमावली की उक्त धारा में संशोधन प्रस्ताव कार्यपरिषद् में

भेजा जायेगा'' तद्नुसार कार्यपरिषद् में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कार्यपरिषद् के अनुमादनोपरान्त राज्य सरकार को विहित प्रकिया अनुसार संशोधन प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

विनिश्चय :–11.08 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–09

विश्वविद्यालय में तैनात नियमित कार्मिकों के एम.ए.सी.पी. तथा पदोन्नति का अनुमोदन।

प्रस्तावः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यरत 08 नियमित कार्मिकों में से 04 कार्मिकों को शासनादेश के नियमानुसार अपने–अपने संवर्ग में निर्धारित सेवावधि पूर्ण के पश्चात् पदोन्नति दी गयी तथा शेष 04 कार्मिकों कोउत्तराखण्ड के शासनादेश एम.ए.सी.पी. के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ इस आशय से प्रदान किया गया की सम्बन्धित प्रस्ताव को कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.09 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–10

राजकीय कार्मिकों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना SGHS का विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु अंगीकृत करने का प्रस्ताव।

प्रस्तावः– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1256(1)/XXVVIII(3)21-04/2008T.C. दिनांक 25 नवम्बर 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों को समस्त प्रकार के रोगों के उपचार हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु अंगीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव कार्यपरिषद् के मा0 सदस्यों के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :–11.10 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों हेतु प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–11

विश्वविद्यालय के घटतें वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत भविष्य में राज्य के विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों को भविष्य में विश्वविद्यालय से अनुदानं न दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु अपनी आय से भवन, फर्नीचर, लैब आदि हेतु लगभग 82 करोड़ का अनुदान दिया गया। प्रदेश में

विभिन्न डीम्ड/प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की संख्या कम होने तथा छात्र संख्या कम होने आदि कारणों से विश्वविद्यालय की आय में अत्यन्त कमी आयी है।

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को कोई भी अनुदान नही दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा भविष्य में परीक्षा भवन बननें तथा अनुसंकायों को खोलने के दृष्टिगत एकेडमिक भवन बननें एवं विश्वविद्यालय में इनोवेशन केन्द्र आदि की स्थापना में धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय वर्तमान स्थिति में राज्य के विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों को भविष्य में कोई अनुदान दिये जाने की स्थिति में नही है। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.11 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन दिया गया एवं यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन द्वारा वेतन भत्ते आदि के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रयास किये जाए एवं भविष्य में विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ होने पर ही पुनः संस्थानों में सहयोग के लिए विचार कर सकता है।

अन्य ऐजेंण्डा बिन्दुः– 11–12

(अ)–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के अपने परिसर में अगले सत्र से एम0बी0ए0 (नियमित/पार्ट टाईम/सांय कालिन), एल0एल0बी0 (नियमित/सांय कालिन) तथा बी0 फार्म (नियमित) चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

औचित्य–

विभिन्न सरकारी संस्थानों, सचिवालय, उधोगों तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों व अधिकारियों के एम0बी0ए0 तथा एल0एल0बी0 के प्रशिक्षण की बहुत मांग तथा सम्भावनों के दृष्टिगत सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में एम0फार्म0 संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा तकनीकी संस्थाओं में **मल्टीडिसिप्लेनरी एजुकेशन, रिसर्च एण्ड इनोवेशन एण्ड टैक्निकल एजुकेशन** के प्रस्तावित परियोजना के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के साथ–साथ अन्य पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहें है।

विनिश्चय :–11.12(अ) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार पाठयक्रमों के संचालन तथा संबंधित पाठयक्रमों हेतु विश्वविद्यालय स्तर से भूमि, भवन, साज–सज्जा एवं फैकल्टी की नियमानुसार उचित व्यवस्था, संबंधित पाठयक्रमों के नियामक संस्थाओं के अनुरूप किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित पाठयक्रमों के संकाय, भवनों के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा एम0बी0ए0, एल0एल0बी0 एवं बी0फार्मा0पाठयक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय को अपने स्तर से संबंधित नियामकों (एआईसीटीई/बीसीआई/पीसीआई) के अनुसार भूमि आंवटित करने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा इमर्जिग टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठयक्रमों से संबंधित पाठयक्रमों जैसे आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्सी में एम0टेक0 एवं अन्य पाठयक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित करने हेतु सुझाव दिये गये।

(ब)–तकनीकी के नये क्षेत्र आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्सी में कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आर्टपार्क (आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्स एण्ड रोबोटिक्स टैक्नोलॉजी पार्क, बंगलोर) के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया है। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(ब) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा संबंधित कार्य हेतु अन्य आवश्यक निर्णय लेने के लिए मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया ।

(स)–रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की संलिप्ता एवं अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत रक्षा क्षेत्र की विभिन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण एवं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्मिकों को इमरजिंग तकनीकी से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अथक प्रयास से आर्मी डिजाईन ब्युरो के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(स) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(द)–विश्वविद्यालय की आय के सोत्रो को बढाने हेतु विश्वविद्यालय में रोजगार–परक सार्टिफिकेट कोर्सिस के संचालन हेतु कार्यपरिषद् से प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(द) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(य)–विश्वविद्यालय द्वारा डिफेन्स टेस्टींग इन्फरास्ट्रचर स्कीम (डी0टी0आई0एस0) के अन्तर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य स्टेकहोल्डस निविदा में प्रतिभाग किया गया है। निविदा प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परियोजना में निमयानुसार कार्य किया जायेगा, इससे विश्वविद्यालय की आय की वृद्धि के साथ–साथ, विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बन्धित संस्थानों के कार्मिकों, छात्र–छात्राओं को कार्य करने का तथा अपनी कौशलता विकास करने का अवसर प्रदान होगा। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(य) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(र)–मा0 कुलपति महोदय के अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

1– निदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई टिहरी के अनुरोध के क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई टिहरी में 02 वर्षीय एम0एच0एम0 पाठयक्रम को एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मा0 सदस्यों द्वारा संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2–आगामी शैक्षिक सत्र से प्रतिवर्ष 'वीर माधो सिंह भण्डारी स्मृति व्याख्यान' का आयोजन शुरू किये जाने हेतु मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन दिया गया।

3– आगामी दीक्षांत समारोह से बी0टैक0 में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र–छात्रा को **"वीर माधो सिंह भण्डारी स्वर्ण पदक"** दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

4–विश्वविद्यालय के द्वारा वीर माधो सिंह भण्डारी के नाम से मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा संस्थानों के द्वारा उनके संस्थापक/अतिविशिष्ट/सम्मानित सदस्यों के नाम से छात्रवृत्ति दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

5– निदेशक डॉ. ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर के अनुरोध के क्रम में विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान के डॉ ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर में सत्र 2022–23 से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नए पाठयक्रम B.Tech in Robotics and Automation (प्रवेश क्षमता–60) एवं B.Tech in Artificial Intelligence & Machine Learning (प्रवेश क्षमता–60) को नियमानुसार संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(वेदी राम)
अपर सचिव
तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव
न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(संजय टोलिया)
संयुक्त सचिव
वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(सुनील सिंह)
अनुसचिव
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(अमित अग्रवाल)
निदेशक,
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इस्टी0 टे0 टनकपुर

(यशपाल सिंह नेगी)
निदेशक
स्टेट होटल मैनेजमैन्ट नई टिहरी,

(आर0पी0गुप्ता)
कुलसचिव

(डॉ0 पी0पी0ध्यानी)
कुलपति